समाहरणालय, मधेपुरा।

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 582/आ0, दिनांक 05-12-2011 के द्वारा धान अधिप्राप्ति केन्द्र विधटित बाजार समिति, बिहारीगंज में श्री गणेश कुमार, जनसेवक, प्रखंड कार्यालय, बिहारीगंज को प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बिहारीगंज के द्वारा दिनांक 09-01-2012 को समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के ज्ञापांक 173-2 दिनांक 12-01-2012 के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहारीगंज धान अधिप्राप्ति केन्द्र से दिनांक 31-12-2011 से लगातार बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, मोबाईल का स्वीच ऑफ रखने के आरोप में आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा के ज्ञापांक 33 दिनांक 16-01-2012 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण इन्हें कार्यालय आदेश ज्ञापांक 76 दिनांक 07-02-2012 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 की सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कथित आरोप के आलोक में तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उपस्थापन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज को नियुक्त किया गया। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 679-2/स्था0 दिनांक 31-12-2012 के द्वारा आरोप पत्र संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निदेश निर्गत किया गया।

विभागीय कार्यवाही का अधिगम प्राप्त नहीं होने एवं निलंबनावधि 16 माह बीत जाने के कारण श्री गणेश कुमार, जनसेवक से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचार करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक 629-2/स्था0, दिनांक 27-07-2013 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-07 के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त इस शर्त्त के साथ किया गया कि उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी एवं निलंबनावधि का बकाया वेतन का भुगतान विभागीय कार्यवाही के फलाफल तथा उस पर अंतिम निर्णय होने पर किया जायेगा।

जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा-सह-संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 567 दिनांक 16-07-2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन उपरान्त अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के कुछ विन्दुओं पर अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कतिपय पृच्छा की गई, जिस पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा कार्यालय के पत्रांक 754-2/स्था0, दिनांक 10-09-2013 के द्वारा पूछा गया, जो प्राप्त हो चुका है।

सम्पूर्ण तथ्यों एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि श्री गणेश कुमार ने आदेशानुसार दिनांक 31-12-2011 तक अपने प्रतिनियुक्त स्थान पर कार्य किया है, किन्तु अचानक तवीयत खराब हो जाने के कारण ईलाज हेतु चले गए। उन्होंने दिनांक 02-01-2012 से 04-01-2012 एवं 05-01-2012 से 07-01-2012 तक

का अवकाश आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज को दिया है। पुनः ईलाज के उपरान्त दिनांक 13-02-2012 को अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हुए, जहाँ उन्हें निलंबन आदेश हस्तगत कराया गया। ईलाज के संदर्भ में साक्ष्य अवलोकन से ज्ञात होता है कि वे दिनांक 02-01-2012 को सदर अस्पताल, मधेपुरा एवं दिनांक 09-01-2012 को पूर्णियाँ में चिकित्सक से ईलाज कराई है। अल्ट्रासोनोग्राफी की छायाप्रति से ज्ञात होता है कि मेडिकल जाँच में उनके बायें किडनी में स्टोन पाया गया है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री कुमार उक्त अवधि में बीमार थे। इस तरह संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्री गणेश कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित साक्ष्य के आधार पर इन पर लगाए गए आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है कि वे ईलाजरत रहने के समय अपना अवकाश विस्तार संबंधी आवेदन दिनांक 02-01-2012 से 04-01-2012 तथा 05-01-2012 से 07-01-2012 को छोड़कर दिनांक 08-01-2012 से 12-12-02-2012 तक की अवधि का लिखित/ मौखिक/ मोबाईल एवं डाक के माध्यम से अपने नियंत्री पदाधिकारी को नहीं दिया है, जो बिना सूचना के अनुपस्थित रहना गैर जिम्मेदारी वाला कार्य को इंकित करता है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-11(3) के तहत इस कृत के लिए श्री कुमार को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए इस शर्त्त के साथ विभागीय कार्यवाही से मुक्त किया जाता है कि वे इसकी पुनर्रावृति नहीं करेंगे एवं पुनर्रावृति होने की स्थिति में कठोरतम कार्रवाई की जाऐगी। साथ ही बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के तहत चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश अवधि दिनांक 02-01-2012 से 12-02-2012 तक कुल 42 (बियालिस) दिनों का उपार्जित अवकाश (अर्जित अवकाश) एवं निलंबनावधि को कार्यरत अवधि मानते हुए बकाया वेतनादि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज को निदेश दिया जाता है कि वे श्री कुमार के सेवापुस्त में इस आशय की प्रविष्टि करते हुए नियमानुसार बकाये वेतनादि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 961-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 28-10-13

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।.

प्रतिलिपि : जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री गणेश कुमार, जनसेवक, प्रखंड कार्यालय, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

28/10/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।